

कार्यालय, मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण**आदेश**

दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2008

सं. फा. 10(414)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2243.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्रीव्स ट्रेवल इंडिया प्रा. लि., 4बी, जंगपुरा-बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110014, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,97,10,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 15,001 से 4,12,100 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 39,710/- (रुपये उनतालीस हजार सात सौ दस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY**ORDER**

Delhi, the 17th December, 2008

F. No. 10(414)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2243.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Greaves Travel India Private Limited, 4 B, Jangpura-B, Mathura Road, New Delhi-110014 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 39,710/- (Rs. Thirty Nine Thousand Seven Hundred Ten) on the aggregate value of shares of Rs. 3,97,10,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 15,001 to 4,12,100 be issued by the said company.

सं. फा. 10(416)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2260.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रिओ डोसे इंडिया प्रा. लि., ब्लॉक बी-1, प्लॉट नं. एफ-2, मोहन कोओपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,41,61,240/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,35,501 से 28,51,624 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 24,162/- (रुपये चौबीस हजार एक सौ बासठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(416)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2260.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. RIO DOCE (INDIA) PRIVATE LIMITED, Block B-1, Plot No. F-2, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 24,162/- (Rs. Twenty Four Thousand One Hundred Sixty Two) on the aggregate value of shares of Rs. 2,41,61,240/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 4,35,501 to 28,51,624 be issued by the said company.

सं. फा. 10(418)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2200.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्टेनले वर्क्स (इंडिया) प्रा. लि., डी-1007 बेसमेन्ट, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,98,48,430/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14,12,290 से 16,95,838 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 19,849/- (रुपये उन्नीस हजार आठ सौ उनचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(418)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2200.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Stanley Works (India) Private Limited, D-1007 Basement, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,849/- (Rs. Nineteen Thousand Eight Hundred Forty Nine) on the aggregate value of shares of Rs. 1,98,48,430/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 14,12,290 to 16,95,838 be issued by the said company.

सं. फा. 10(419)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2199.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गैटिट इन्फोसर्विसेज प्रा. लि., 8-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,00,00,861/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20,99,795 से 22,73,390 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,001/- (रुपये तीस हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(419)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2199.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. GETIT INFOSERVICES PRIVATE LIMITED, 8-B, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,001/- (Rs. Thirty Thousand One) on the Aggregate value of shares of Rs. 3,00,00,861/- for equity share certificates with distinctive Nos. 20,99,795 to 22,73,390 be issued by the said company.

सं. फा. 10(417)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2198.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नाइन डोट नाइन मिडिया वर्क्स प्रा.लि., एन-154, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,38,05,608/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,001 से 1,10,403 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 33,806/- (रुपये तैंतिस हजार आठ सौ छः) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(417)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2198.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Nine Dot Nine Mediaworx Private Limited, N-154, Panchsheel Park, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 33,806/- (Rs. Thirty Three Thousand Eight Hundred Six) on the Aggregate value of shares of Rs. 3,38,05,608/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,00,001 to 1,10,403 be issued by the said company.

सं. फा. 10(422)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2259.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वास्सरटेन एडवाइजर्स इंडिया प्रा. लि., दूसरी मंजिल, 21-22, कृष्णा नगर, सफदरजंग इक्लेव, नई दिल्ली.110029, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,00,00 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100/- (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(422)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2259.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wasserten Advisors India Private Limited, 2nd Floor, 21-22, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.100/- (Rs. One Hundred) on the Aggregate value of shares of Rs. 1,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(421)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2261.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिनर्जिक्स हाइड्रो (इंडिया) प्रा. लि., बी-1/जे-1/1, दूसरी मंजिल, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,94,600/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,50,001 से 2,79,460 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 295/- (रुपये दो सौ पचानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(421)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2161.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Synergics Hydro (India) Private limited, B-1/J-1/1, 2nd Floor, Mohan Co-Operative Industrial Estate Extension, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.295 (Rs. Two Hundred Ninety Five) on the Aggregate value of shares of Rs. 2,94,600/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 2,50,001 to 2,79,460 be issued by the said company.

सं. फा. 10(420)/मु. स.(मुख्या)/स.शु./08/2258.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गैटिट इन्फोसर्विसेज प्रा. लि., 8-बी बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 20,00,01,730/- मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 000001 से 4,82,234

है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,00,002/- (रुपये दो लाख दो) केवल के समीकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से

विनय कुमार, संयुक्त सचिव

F. No. 10(420)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2258.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the

24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Getit Infoservices Private Limited, 8-B, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.2,00,002 (Rs. Two Lac Two) on the aggregate value of shares of Rs. 20,00,01,730/- for preference Share certificates with distinctive Nos. 000001 to 4,82,234 be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue
Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi

VINAY KUMAR, Jt. Secy.